..11-17 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार को सुना गया। वकील प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी सं. 6 लाभरा पुत्र रामकिशन की मृत्यु वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही हो चुकी है। इसी प्रकार वादी गोरधन मुतबन्ना सोडरण बनकर वाद का प्रस्तुत किया है जबकि वादी गोरधन सोडरण का गोदपुत्र नहीं है। अत: वादी का वाद खारिज किया जावे।

वकील वादी का कथन है कि लाभरा की मृत्यु वाद दायर करने के बाद हुई है तथा वादी गोरधन मुतबन्ना सोडरण वादग्रसित आराजी बाके ग्राम बोरदा(?) डं.वर्ष 2069-72 गोरधन मुतबन्ना सोडरण दर्ज है अत: वादी का वाद इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

उभय वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया, इस न्यायालय से जारी सम्मन प्रतिवादी लाभरा को दिनांक 25-3-15 को जारी किया था, जिसमें आगामी तारीख 8-4-15 थी, पर लाभरा पुत्र रामकिशन जाट की मृत्यु होने की रिपोर्ट प्रतिवादी सं. 6 की तामील कुनिन्दा ने पेश की है जिससे पाया जाता है कि लाभरा की मृत्यु वाद प्रस्तुत करने से पूर्व हो चुकी थी। अत: वादी का वाद प्रस्तुत करने से पूर्व लाभरा की मृत्यु होना पाया जाता है। वादी ने इस बाबत प्र.पत्र वारिसान को रिकार्ड पर लेने संबंधी भी प्रस्तुत नहीं किया है। अत: वादी का वाद खारिज किया जाता है।

मिसल नंबर से कम होकर शुमार फैसल है बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Sd/-

SDO Sarwar